न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/28/2025	2025/290	04.11.2025	11.02.2026

1.कैलाश पुत्र स्व0 श्री काल्या, जाति मीना, निवासी ग्राम तालाब, तहसील टहला, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1.तहसीलदार टहला जिला अलवर राज0

——असल रेस्पोडेन्ट

2.गोकल पुत्र स्व0 श्री काल्या, जाति मीना, निवासी ग्राम तालाब, तहसील टहला, जिला अलवर।
3.सुखबाई पुत्री स्व0 श्री काल्या, जाति मीना, निवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर।
4.समोती पुत्री स्व0 श्री काल्या, जाति मीना, निवासी ग्राम तालाब, तहसील टहला, जिला अलवर।
5.चंदोबाई पुत्री स्व0 श्री काल्या, जाति मीना, निवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर।

——तरतीबी रैस्पोडेंन्ट्स

राजस्व प्रथम अपील अनर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून व साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 1581 दिनांक 18.04.2022 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर खारिज कर खाता संख्या 691 को पुनः संशोधित कर गैरखातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उपस्थितः—

01. श्री पवन सिंह चौहान — वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान के आदेश दिनांक 17.06.2022 जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून व साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 1581 दिनांक 18.04.2022 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर खारिज कर खाता संख्या 691 को पुनः संशोधित कर गैरखातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को पूर्व में उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 की कोई जानकारी नही थी। क्योंकि उक्त आज्ञा रैस्पाडेन्टस द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, पारित की गई। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 14.11.2022 को हुई, जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को मेरे पिता कल्या की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। बाद जानकारी आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 15.11.2022 को तैयार होकर सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 16.11.2022 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 17.11.2022 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14.11.2022 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा दिनांक 17.06.2022 से सर्वप्रथम जानकारी की दिंनाक 14.11.2022 व आज तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में गुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 14.11.2022 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं। अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2 रूपया चस्पा हैं, तथा तलबाना सशुल्क नियमानुसार पेश किया जा रहा है। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व रिकार्ड के खिलाफ है। इसलिए निरस्तनीय है। निरस्त फरमायी जावे। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। आराजी साबिक खसरा नंबर 1939 मिन रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं. जिसका हाल खसरा नंबर 3238 रकबा 2.62 हैक्टेयर कायम किया गया हैं, जिसमें से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (0.63 हैक्टेयर) मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता काल्या पुत्र श्री नोल्या जाति मीना निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान को रेगूलाईज कर पटटा दिनांक 27.08.1973 को जारी किया गया, तथा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी का अंकन किया गया, जिस आराजी पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता काल्या अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते रहें, तथा उनके स्वर्गवास मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस वर्तमान में काबिज चले आ रहे हैं। तथा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के हक में खातेदारी इन्तकाल संख्या 1581 दिनांक 18.04.2022 को दर्ज व तस्दीक होकर हमारे नाम का अंकन बहैसियत खातेदार ताहाल राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाकैन्टस को आज तक उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार बेदखल नहीं किया गया हैं। परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया। इसलिए आलोच्य आज्ञा निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। असल रैस्पाडेन्ट ने आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब नहीं किया गया, ना मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। शिकायतकर्ता महेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण का भी उक्त विवादित आराजी के अन्य रकबा पर कब्जा हैं, उसने मिन अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पाडैन्टस को उनकी आराजी से गलत हथकण्डे अपनाकर वंचित करने की नियत से झूठी शिकायत की है। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व भू–आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तरतीबी रैस्पाडैन्टस के विवादित आराजी व अपील में हित निहित हैं, जो अपीलान्ट बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिए तरतीबी रैस्पाडैन्टस बनाया गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17.06.2022 निरस्त फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 1581 दिनांक 18.04.2022 ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान एवं खाता संख्या 691 को यथावत रखे जाने की आज्ञा पारित की जावें। महति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं. जिसका हाल खसरा नंबर 3238 रकबा 2.62 हैक्टेयर कायम किया गया हैं, जिसमें से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (0.63 हैक्टेयर) मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता काल्या पुत्र श्री नोल्या जाति मीना निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान को रेगूलाईज कर पटटा दिनांक 27.08.1973 को जारी किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी का अंकन किया गया, जिस आराजी पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता काल्या अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते रहें, तथा उनके स्वर्गवास मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस वर्तमान में काबिज चले आ रहे हैं। तथा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के हक में खातेदारी इन्तकाल संख्या 1581 दिनांक 18.04.2022 को दर्ज व तस्दीक होकर हमारे नाम का अंकन बहैसियत खातेदार ताहाल राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाकैन्टस को आज तक उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार बेदखल नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित इंतकाल को निरस्त किया जावे।

वकील रैस्पोडेंट/राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का ग्राम तालाब कि रिपोर्ट दिनांक 25.02.2022 में वाके ग्राम–तालाब के आराजी खसरा नम्बर 3238 रकबा 2.62 किस्म में गैमु० राड़ा के मौके पर पहुंचे मौके पर उक्त खसरा नम्बर पड़त (खाली) है। भूमि उबड़–खाबड़ है पर उपस्थित व गाँव के अन्य मौतविरानो से पूछताछ की गई। वर्तमान में मौके पर उक्त खसरा नम्बर में कोई फसल नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 17.06.2022 के अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत फॉलोअप शिविर ग्राम तालाब के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम तालाब में इन्तकाल नम्बर 1581 से खसरा न0 3238 रकबा 2.62 है. किस्म भूमि गै.मु.राडा बिना कब्जा के ही गैर खातेदारों से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है वह 3238 गलत है, उसे निरस्त किया जावे, शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि गैर खातेदारो का आंवटन से आजदिनांक तक कोई कब्जा नही है तथा आंवटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्राप्त शिकायत की तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का व भू०अ०नि० तालाब से संयुक्त मौका जांच कराई गई। संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में जाहिर किया गया कि वर्तमान में भूमि पडत (खाली) पड़ी है तथा आराजी खसरा नम्बर 3238 रकबा 2.62 हे. किस्म गै. मु.राडा पर आंशिक कब्जा खातेदारान तथा आंशिक कब्ज़ा शिकायतकर्ता महेन्द्र कुमार जाति ब्राहाम्ण का है। संयुक्त जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का व भू०अ०नि० तालाब द्वारा नामान्तकरण संख्या 1581 को खारिज कर खाता संख्या 691 को पुनः संशोधित कर गैर खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट एवं मौके पर गैर खातेदारान का कब्जा नही होने तथा आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना नही किये जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 1581 से प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने योग्य पाये गये। इसलिए तहसीलदार द्वारा राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 137 सपठित धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश देकर नामान्तकरण संख्या 1581 ग्राम तालाब को निरस्त किया गया तथा 14 (4) का प्रकरण तैयार कर भिजवाये जाने हेतु कहा गया। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2022 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), टहला के आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार टहला ने ग्राम तालाब के नामान्तरकरण संख्या 1581 दिनांक 18.04.2022 को निरस्त करते हुए खाता संख्या 691 को पुनः संशोधित कर 'गैर खातेदारी' दर्ज करने और आवंटन निरस्तीकरण हेतु धारा 14(4) का प्रस्ताव भिजवाने का आदेश दिया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 3238 (पुराना 1939 मिन) रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा उनके पिता काल्या को दिनांक 27.08.1973 को नियमित कर पट्टा जारी किया गया था। वे और उनके पूर्वज इस पर लगातार काबिज हैं। इसी आधार पर दिनांक 18.04.2022 को उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1581 भरकर खातेदारी अधिकार दिए गए थे। उनका तर्क है कि तहसीलदार ने दिनांक 17.06.2022 का आदेश पारित करते समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार ने रंजिशन झूठी शिकायत की है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' के फॉलोअप शिविर में प्राप्त शिकायत के आधार पर पटवारी और भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2022 को संयुक्त मौका जांच की गई। जांच में पाया गया कि आराजी खसरा नं. 3238 मौके पर 'पड़त' (खाली) है और भूमि 'गैर मुमकिन राड़ा' किस्म की है। मौके पर कोई फसल नहीं पाई गई और न ही आवंटन की शर्तों के अनुसार निरंतर कृषि कार्य पाया गया। चूंकि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और मौके पर कब्जा नहीं है, इसलिए खातेदारी अधिकार त्रुटिवश प्रदान किए गए थे। तहसीलदार का आदेश विधिसम्मत है।

पत्रावली के अवलोकन, उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड और मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्व नियमों के अनुसार, किसी भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गैर–खातेदार को खातेदारी अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब वह आवंटन की शर्तों का पालन करते हुए भूमि पर निरंतर काबिज हो और कृषि कार्य कर रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड और पटवारी/गिरदावर की संयुक्त रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि विवादित भूमि (खसरा नं. 3238) मौके पर 'पड़त' है और 'उबड़–खाबड़' स्थिति में है। जब भूमि पर कृषि कार्य ही नहीं हो रहा है, तो दिनांक 18.04.2022 को भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1581, जो खातेदारी अधिकार प्रदान करता है, तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था। अपीलार्थी का यह तर्क कि वे मौके पर काबिज हैं, मौका रिपोर्ट से खंडित होता है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मौका स्थिति को मात्र मौखिक कथनों के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। तहसीलदार टहला ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2022 द्वारा त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध करने की कार्यवाही की है, जो कि धारा 136 व 137 (Land Record Rules) के तहत उनकी अधिकारिता में है। चूंकि आवंटन की शर्तों की पालना नहीं हुई, इसलिए आवंटन निरस्तीकरण हेतु उच्च न्यायालय को 14(4) का प्रस्ताव भेजना भी उचित प्रक्रिया है। जहां तक प्राकृतिक न्याय के हनन का प्रश्न है, जब रिकॉर्ड और मौका स्थिति ही अधिकार का समर्थन नहीं करती, तो प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर अवैध म्यूटेशन को बहाल नहीं किया जा सकता। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2022 में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार टहला द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को यथावत रखा जाता है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 17.06.2022 की पालना में 14(4) का प्रकरण तैयार करवाकर भिजवाया गया है या नहीं इसकी जांच करें। यदि निर्णय की पालना में 14(4) का प्रकरण तैयार करवाकर नहीं भिजवाया गया हो तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से न्यायालय हाजा को भी अवगत करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी राजगढ एवं तहत अदालत को सूचनार्थ व पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर